

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 1.8.2012

14 AUG 2012 आ.सं०- I/एम-148/2011-1959

उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:-

क्रम सं०	दस्तावेजों के प्रकार	अधिकतम सीमा
(क)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-6(1)(a) के अधीन यथा वर्णित हक विलेखों के निक्षेप (deposit) से संबंधित एकरारनामा	5000/-रु. (पाँच हजार रुपए मात्र)।
(ख)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन यथा वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिया गया हो या दिये जाने का करार किया गया हो	20,000/-रु. (बीस हजार रुपए मात्र)।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

एस.ओ.सं०- I/एम-148/2011-

प्रतिलिपि- उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (b) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

जाप
प्र

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

Notification

Patna, Dated: 1.8.2012

S.O. No.- I/M¹- 148/2011- 1959 /In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of stamp duty as follows: --

Sl. No.	Kind of Instrument	Maximum limit
(a)	Agreement relating to deposit of title deeds as described under Article-6(1)(a) of Schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 5000/- (Rupees five thousand only)
(b)	Mortgage deed when possession is not given or agreed to be given as aforesaid as described under Article-40(b) of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)

By the order of the Governor of Bihar,

Sd./-

(Amir Subhani)

Principal Secretary to Government.

ज्ञापक- I/एम¹- 148/2011- /, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, ई-गजट कोषाग. बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक- I/एम¹- 148/2011- /, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक- I/एम- 148/2011- 1959 / पटना, दिनांक- 1.8.2012
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी सभाहर्ता-सह-जिला निबंधक/मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2012

by clause (a)
is pleased



(आमिर सुबहानी) 1.7.12
सरकार के प्रधान सचिव।

10